HRA STUSSIVE The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

t. 2731

No. 2731

नई दिल्ली, सुक्रवार, अक्तूबर 29, 2010/कार्तिक 7, 1932

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2010/KARTIKA 7, 1932

C/11

भारतीय दत्य परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2010

सं. डीई-175-2010.—दंत चिकित्सक अधिनयम, 1948 की धारा 20 द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंत्य परिषद् केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से धारतीय दंत्य परिषद् संशोधित दन्त शब्य चिकित्सा स्नातक की डिग्रो, 2007 में पुन: संशोधन करने हेतु एतदद्वारा निम्निलिखित चिनियम बनाती है:—

- संक्षिप्त शीषक और प्रारंभ:—(1) इन विनियमों को मारतीय दंत्य परिचद् संशोधित दल शल्य चिकित्सा स्नातक की डिग्री (संशोधन), 2010 के नाम से जाना जाएगा।
- ये मारत के राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. भारतीय दंत्य परिषद् संशोधित दन्त शस्य चिकित्सा स्नातक की डिग्री, 2007 में निम्नलिखित परिवर्तन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जायेगे:-
- अच्याय 1 में दत्त शल्य चिकित्सा स्नातक की डिग्रो, में प्रवेश शीर्षक के अधीन-पात्रता के मानदंड, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा—
 - "3. वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 3% सीटें, 50% से 70% के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अध्यर्थियों से मरी जाएंगी।

बरातें कि यदि 50% से 70% के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अन्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इस 3% कोटा में कोई सीट खाली रह जाती है तो इस 3% कोटा में खाली रह गई इस प्रकार की सीट को, सामान्य श्रेणों के अभ्यर्थियों के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में उन्हें जोड़े जाने से पहले, 40% से 50% के बीच निचले अंगों की गतिक विकल्णाना वाले व्यक्तियों से भरा जाएगा।

पुनः बरातें कि यह संपूर्ण कार्य प्रत्येक दत चिकित्सक कालेज/संस्थान द्वारा, दाखिलों के लिए साँविधिक रूप से निध रित समय के अनुसार पूरा किया जाएगा और किसी मी स्थिति में 30 सितम्बर के प्रश्चात बी.डी.एस. पात्यक्रम में कोई दाखिला नहीं किया जाएगा।"

 खण्ड 5 (ii) के परंतुक से पहले शीर्यक छात्रों का चयन में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा:-

"वशर्ते कि उपर खण्ड 3 के अनुसार निचले अंगों की गतिक विकलागता वाले व्यक्तियों के दाखिले के लिए पात्रता सबन्धी भानरण्ड, वी.डी.एस. पाठ्यक्रम के लिए अर्हक परीक्षा और प्रतियोगितात्मक प्रवेश परीक्षा में एक साथ मिलकर न्यून्तम 50% के बजाय 45% अंक होगा।"

मेजर जनरल (सेवानिकृत्त) डा. पी.एन. अवस्थी, सचिव [बिज्ञापन-IIV4/98/10-अस.]

पाद टिप्पणी: प्रधान नियमावली नामत दन्त शल्य चिकित्सा स्नातक की डिग्नी, 2007, भारतीय दंख परिषद की दिनांक 10 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग-111 धारा 4 में प्रकाशित की गई थी तथा परिष्द की दिनांक 27-9-2007 की अधिसूचना के अन्तर्गत संशोधित किया गया था।

4219 GI/2010

DENTALCOUNCILOFINDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2010

No. DE-175-2010.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948 the Dental Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the Principal Regulations, 2007 called "DCI's Revised BDS Course Regulations, 2007":—

- Short title and commencement:—(i) These Regulations may be called the Dental Council of India Revised BDS Course (2nd Amendment) Regulations, 2010.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Revised BDS Course Regulations, 2007, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein:—
- 3. In Chapter 1 under the heading "Admission to the Dental Course-Eligibility Criteria", the following shall be added after sub-clause 2 (f):—
 - "3. 3% seats of the annual sanctioned intake capacity shall be filled up by candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70%.

Provided that in case any seat in this 3% quota remains unfilled on account of unavailabity of candidates with locomotory disability of limbs between 50% to 70% then any such unfines at in 1875 3% quota shall be filled up-by person with locomotory disability of lower limbs between 40% to 50% before they are included in the annual sanctioned seats for General Category candidates.

Provided further that this entire exercise shall be completed by each Dental College/Institution as per the statutory time schedule for admissions and in no case any admission will be made in the BDS course after 30th of September."

 The following proviso shall be added before the clause 5 (ii) under the heading "selection of students".

"Provided that the eligibility criteria for admission to persons with locomotory disability of lower limbs in terms of Clause 3 above—will be a minimum of 45% marks instead of 50 % taken together in qualifying examination and competitive entrance examination for admission in BDS course."

Maj. Gen. (Retd.) Dr. P.N. AWASTHI, Secy.

[ADVT. III/4/98/10-Exty.]

Foot Note: The Principal Regulations namely Revised BDS
Course Regulation, 2007 were published in Part
III Section 4 of the Gazette of India vide
Notification dt, 10-09-2007 and amended vide
dt 27-09-2007.